तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 30/2024 जीसीएमएस : 2024/135 भजन सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,92ए राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

30.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रवितादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण होने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण को वादी की भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी को दिलाए जाने हेतु निवेदन किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी के नाम से चक 6 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर की जमाबंदी खाता सं. 50 में मु.नं. 8 प.नं. 119/381 कि.नं. 6/1, 6/2, 13, 14/1, 18/3, 18/4, 19/1, 21/1, 22/1 व मु. नं. 10 प.नं. 119/382 कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1 का 2.772है. नाली प्रथम मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी की भूमि मु.नं. 119/381 के साथ की चिपती प्रतिवादीगण की पारिवारिक भूमि है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि मु.नं. 119/381 कि.नं. 6 में 0.0260, कि.नं. 13 में 0.013 व कि.नं. 14/1 में 0.038है. भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। पैमाईश भी की गयी जिसमें दिनांक 13.04.2020 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि से बेदखल करते हुए कब्जा वादी को दिलाने तथा वर्ष 2021 से कब्जा दिलाऐ जाने के रोज तक प्रचलित ठेका दर अनुसार मिन्स प्रोफिट व क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/– रूपये दिलाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादीगण की ओर से वाद के तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई एतराज एवं आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। प्रकरण में निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये –

1. आया कि वादी विवादित भूमि चक 6 जीबी ए का मु.नं. 119/381 कि.नं. 6/0.026है., 13/0.013है., 14/1/0.038है. भूमि का खातेदार है ?
2. आया कि वादी अपनी खातेदारी विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल करवा भूमि का कब्जा प्राप्त करने और वर्ष 2021 से विवादित भूमि के मिन्स प्रोफिट व क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/– रूपया हर्जाना प्रतिवादी सं. 1 व 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यकों को सिद्ध करने का [illegible] वादी पर था। वादी की ओर से साक्ष्य [illegible] पेश हुआ। जिसके ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। प्रदर्श सं. 3 जमाबंदी 6 जीबी ए खाता सं. 50 अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श सं. 2 आदेश उप तहसीलदार जैतसर दिनांक 26.11.2021 के अनुसार चक 6 जीबी ए मु.नं. 119/381, 119/382, 120/382 के रकबा के सीमाज्ञान हेतु कमेटी का गठन किया गया है। प्रदर्श सं.1 दैनिक डायरी 7जीबी

खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 30/2024 जीसीएमएस : 2024/135 भजन सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,92ए राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
	पटवारी दिनांक 17.11.2021 अनुसार चक 6 जीबी ए मु.नं. 119/381, 119/382, 120/382 के समीज्ञान करने हेतु मौके पर जाने पर दोनों पक्षों में विवाद होने संबंधित तथ्य अंकित है। साथ ही वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से प्रचलित दर से ठेका राशि व क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु निवेदन किया है परन्तु इस संबंध में वे किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे है। ऐसे में तनकी सं. 1 पूर्ण रूप से एंव तनकी सं. 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/378 दिनांक 15.05.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस अनुसार चक 6 जीबी ए प.नं. 119/381 (8) कि.नं. 6/2/0.038, 13/0.013, 14/1/0.038 है. नाली प्रथम मय खाला भजन सिंह पुत्र गजन सिंह जाति कम्बोसिख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त रकबे पर जसपाल सिंह, इकबाल सिंह पि. कर्मसिंह द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। मु.नं. 8 प.नं. 119/381 में 19.04.2022 को पैमाईश कर निशानदेही दी गयी थी जो वर्तमान में पूर्ववत स्थिति में ही विद्यमान है। दैनिक डायरी पटवारी 7 जीबी दिनांक 13.05.2025 की प्रति संलग्न प्रेषित की गयी है। वादी द्वारा कि. नं. 6 में 0.026 है. रकबा पर अतिक्रमण अंकित किया था जबकि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौका पर 0.038है. रकबा पर अतिक्रमण पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के आधार पर न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – "प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 क्रमशः इकबाल सिंह व जसपाल सिंह पुत्रगण कर्मसिंह निवासी 6 जीबी ए को वादी भजन सिंह की खातेदारी विवादित भूमि चक 6 जीबी ए प.नं. 119/381 मु.नं. 8 कि.नं. 6/2/0.038, 13/0.013, 14/1/ 0.038 है. नाली प्रथम मय खाला पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भूमि से बेदखल किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण 15 दिवस के भीतर वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेवें और भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा 15 दिवस के भीतर वादी की खा[illegible]पूर्ण कब्जा नहीं हटाया जाता है तो बलपूर्वक प्रति[illegible] व 2 को वादी की खातेदारी भूमि से बेदखल करते हुए [illegible] खातेदारी भूमि का कब्जा सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:46:28 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	